

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ ।

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियन्त्रण कार्यक्रम, मेरठ ।

संख्या-अ.मु.चि.अ./SH/DPM/निविदा /2015-16

दिनांक 20.07.2015

पुनः निविदा

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत, जनपद मेरठ में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए स्कूल आई स्क्रीनिंग कार्यक्रम हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार आर्प्टीशियन (प्रतिष्ठित दुकान अवश्य रूप से हो) से कय किये जाने हेतु सील बन्द लिफाफे में निविदायें पुनः आमंत्रित की जाती है जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेरठ के कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में दिनांक 30.07.2015 को प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक डाली जा सकेगी एवं उसी दिन अपराह्न 1.30 बजे निविदा दाताओं के सामने खोली जायेगी। यह विज्ञप्ति meerut.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

कय सामग्री का प्रकार

मानक

चश्में (With case)

1-कैटरेक्ट आप्रेशन हेतु  
2-स्कूल आई स्क्रीनिंग हेतु  
FRAME - Acetate C different  
LENSES - White English  
OTHERS - Spectacles will be free of air bubbles, Scratches ,Waves & irregular shape and must carry 3 months warranty for repair or replacement free of cost for any manufacturing defect (eg: Loose Wings)

निविदा प्रपत्र रु 100/- मात्र के भुगतान पर कमरा नं-07, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेरठ से दिनांक 21.07.2015 से 29.07.2015 तक प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक कार्यालय दिवस में विक्रय किये जायेंगे।

औषधियाँ एम0आर0पी0 से अधिकतम कम दर पर को वरीयता दी जायेगी तथा स्कूल आई स्क्रीनिंग के लिए चश्मों की लागत भारत सरकार द्वारा अधिकतम रु0 275.00(दो सौ पिछहत्तर रुपये मात्र) निर्धारित की है एवं 60 वर्ष से अधिक आयु वाले तथा रिफ्रैक्टिव एरर के कारण दृष्टिबाधित के लिए रु0 100 (सौ रुपये मात्र) के दर निर्धारित है। न्यूनतम दर वालों की निविदा पर विचार किया जाएगा। अन्य जानकारी हेतु कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
(स्कूल हैल्थ / डीपीएम)

मेरठ ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
मेरठ ।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ ।

संख्या-अ.मु.चि.अ./SH/DPM/निविदा /2015-16 9424

दिनांक 04.07.2015

उप निदेशक-सूचना  
मेरठ ।

20

उपरोक्त पुनः निविदा विज्ञप्ति को एक राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र तथा एक राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र एवं एक स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 21.07.2015 को राजकीय विज्ञापन दरों पर न्यूनतम पठनीय स्थान में प्रकाशित कराकर बिल दो प्रतियों में प्रतिहस्ताक्षरित कर समाचार पत्र की प्रति सहित भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरी को भेजने का कष्ट करें।

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
(स्कूल हैल्थ / डीपीएम)

मेरठ ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
मेरठ ।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ।

पत्रांक- सीएमओ/एनपीसीबी/2015

9439

दिनांक - 20 जौलाई 2015

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी- प्रशासन  
मेरठ।

विषय- राष्ट्रीय अन्धता नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत चशमों की निविदा विज्ञप्ति को वेबसाइट पर अपलोड करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राष्ट्रीय अन्धता नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूल आई स्क्रीनिंग कार्यक्रम हेतु चशमों के क्रय हेतु निविदा विज्ञप्ति जो इस पत्र के साथ संलग्न है को मेरठ एन.आई.सी के वेबसाइट एवं सी.एम.ओ के पोर्टल पर अपलोड करने हेतु डी.आई.ओ., एन.आई.सी, मेरठ को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक- निविदा विज्ञप्ति।

भवदीय



अपर मुख्य चिकित्साधिकारी  
स्कूल हैल्थ/डीपीएम  
कार्यक्रम प्रबन्धक - एन.पी.सी.बी

Dio.Mic  
को आओ मेरठ

अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)  
मेरठ।

20.7.15